न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 40/2007
दायर तिथि– 20.04.2007
तारीख फैसला– 09.05.2018

वादीगण– **बनामः** **प्रतिवादीगण–**

गजनाथ पुत्र चतरनाथजी, उम्र 69 वर्ष जाति जोगी, निवासी कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

–:निर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) वादीगण द्वारा चह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आश्य का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित निम्न वर्णित वादग्रसत कृषि भूमि वादीगण के पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। भूमि विवरण निम्नानुसार हैः–

खसरा नं.	रकबा हैक्टर	किस्म
163	0.68	बारानी अव्वल
168	0.28	बारानी अव्वल
169	0.31	बारानी अव्वल
172	0.24	बारानी अव्वल
173	0.14	बारानी अव्वल
174	2.69 मे से 0.04	गै.मु. मगरा
6	1.69 हैक्टर	

उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वर्ष 1955 से अर्थात वादीगण के पूर्वजों काल से वादीगण का कब्जाकाश्त चला रहा है परन्तु आज तक वादीगण को खातेदार दर्ज नहीं किया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादीगण के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना वसूला जा रहा है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करावे व प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करावे।

(2) हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन व विचारण किया तथा साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का भी सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रतिवादी पैरोकार ने लिखित बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है व कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर के पैराफेरी परिधीय क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन या खातेदारी देना विधिसम्मत नहीं है, इसलिए वादीगण का यह वादपत्र खारिज फरमावे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व उनके पूर्वजों का संवत् 2035 से निरनतर कब्जा काश्त चला आ रहा है व सरकार द्वारा नियमन

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

सुदा है। अतः खातेदारी अधिकार प्रदान करावे, पैराफेरी एरिया होना किसी प्रकार का बाधक नहीं है। फलस्वरूप हमने पाया है कि प्रश्नगत् भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है, वादीगण को वादग्रस्त भूमि नियमन होने या इस पर पुश्तैनी पुराना कब्जा काश्त होने जैसा ऐसा कोई प्रामाणिक प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमि ग्राम कोलीवाडा में स्थित होने से सुमेरपुर पालिका क्षेत्र के पैराफेरी परिधीय सीमा में स्थित है। फलतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में कानूनन किसी प्रकार से खातेदारी या स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार नहीं बनती है। वादीगण का कथित वादपत्र काबिल खारिज योग्य है।

अतः परिणामतः वादीगण का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा कालीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 163, 168, 169, 172, 173 व 174 में से 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.69 हैक्टर से संबंधित खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथमतः परिपोषणिय व चलने योग्य नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कोलीवाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner